न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– राजकुमार चौधरी
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 227 / 2026
मोकामा थाना कांड संख्या 80 / 2026

---

1. मनीष कुमार उर्फ कारु, पिता–संजय सिंह, उम्र करीब 32 वर्ष,
2. मोनु कुमार उर्फ नेपाली, पिता–संजय सिंह, उम्र करीब 20 वर्ष,
3. संजय सिंह, पिता–चलित्तर सिंह, उम्र करीब 57 वर्ष,

सभी साकिन–शिवनार, थाना–मोकामा, जिला–पटना.....आवेदक अभियुक्तगण

बनाम्

बिहार सरकार ..... विपक्षी

आवेदक अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री रवि प्रकाश
बिहार सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– मो0 एस0 आर0 रहमान

आदेश

17.01.2026 आवेदक अभियुक्त 1. मनीष कुमार उर्फ कारु, 2. मोनु कुमार उर्फ नेपाली एवं 3. संजय सिंह की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत् दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। यह वाद मोकामा थाना कांड संख्या 80 / 2026, अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 118(1) 109(1), 303(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता से सम्बंधित है।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को संचालित करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। सूचक एवं उनके परिवार के लोग ने भी महिला सदस्य के प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है, जिसके लिए आवेदकगण की ओर से भी इस वाद का पलटा मुकदमा मोकामा थाना कांड संख्या 82 / 26 दर्ज किया गया है। इस वाद में धारा 109(1) बी.एन.एस. को छोड़कर अन्य सभी धाराएं जमानतीय है, जबकि धारा 303(2) बी.एन.एस. आकर्षित नहीं होता है। आवेदक अभियुक्तगण ग्रामीण है और इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण सभ्य नागरिक हैं और सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाय।

अभियोजन जमानत का विरोध करते हैं।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि इस वाद के सूचक गुलशन कुमार हैं, इन्होंने लिखित आवेदन थानाध्यक्ष मोकामा को दिया है, जिसमें सूचक का कथन है कि दिनांक 08.02.2026 को समय करीब 6:50 बजे शाम में सूचक एवं उसके भाई प्रियांशु कुमार अपने घर से महादेव स्थान मेला देखने जा रहे थे कि सौरभ कुमार उर्फ भोपाली सिंह, मोनु कुमार उर्फ नेपाली, मनीष कुमार उर्फ कारु एवं संजय सिंह सभी ग्राम शिवनार अपने–अपने हाथ में लोहे का रड, लाठी, डंडे लेकर आये और सूचक एवं उसके भाई को बेरहमी से जान मारने की नियत से मारपीट करने लगे, जिससे सूचक का सिर, बांया पैर के अंगुली में चोट लगी और खुन बहने लगा। सूचक का भाई जब बचाने लगा तो उसके सिर पर सौरभ कुमार उर्फ भोपाली सिंह लोहे के रड से मारा, जिससे भौं के उपर फट गया और खुन बहने लगा। किसी तरह उक्त लोगों से जान बचाकर घर की ओर भागे। मारपीट के क्रम में सूचक के बजरंगबली का सोने का चकती वजन करीब 5 ग्राम का एवं भाई प्रियांशु कुमार के गले से बजरंगबली

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :— राजकुमार चौधरी
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 227 / 2026
मोकामा थाना कांड संख्या 80 / 2026

लगातार
17.01.2026

के सोने का चकती वजन करीब 4 ग्राम गले से तोड़कर ले लिया, जिसका कुल कीमत लगभग 1,30,000 होगा। दो दिन पूर्व भी मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान रात्रि को भोपाली सिंह एवं मोनु कुमार सूचक को मारपीट किया, लेकिन समझाने–बुझाने पर लिखित आवेदन नहीं दिया था।

उभयपक्षों को सुना। जमानत आवेदन एवं आवेदन के साथ संलग्न कांड दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामित अभियुक्त है। कांड दैनिकी उपलब्ध है। कांड दैनिकी के कंडिका–2 में वादी का पुनः बयान है, जिसमें घटना का समर्थन किया गया है। कंडिका–3 में जख्मी साक्षी प्रियांशु कुमार, कंडिका–8 में साक्षी उपेन्द्र सिंह एवं कंडिका–7 में साक्षी देवेन्द्र कुमार का बयान अंकित है, इन्होंने प्राथमिकी का समर्थन किया है। कंडिका–4 में ईलाज से संबंधित पुर्जा की छायाप्रति का उल्लेख है। कंडिका–22 में इस वाद का प्रतिलोम वाद मोकामा थाना कांड सं0 82 / 26 का वर्णन है। कंडिका–25 में संयुक्त पर्यवेक्षण टिप्पणी है। कंडिका–37 में अभियुक्त सौरभ कुमार उर्फ भोपाली सिंह का दो आपराधिक इतिहास है, जो इस आवेदन में आवेदक नहीं है। कंडिका–43 में वादी गुलशन कुमार का जख्म जांच प्रतिवेदन है, जिसमें जख्म की प्रकृति, साधारण बताया गया है। इस वाद में लोहे के रड से मारपीट करने का मुख्य आरोप सौरभ कुमार उर्फ भोपाली सिंह पर है, जो इस आवेदन में आवेदक नहीं है। प्रस्तुत वाद का प्रतिलोम वाद मोकामा थाना कांड संख्या 82 / 26 आवेदकगण की ओर से दाखिल किया गया है। इस वाद में धारा 109(1) बी.एन.एस. का आरोप बनता हुआ प्रतीत नहीं होता है तथा धारा 303(2) बी.एन.एस. का आरोप भी आकर्षित होता हुआ प्रतीत नहीं होता है, जबकि अन्य धाराएं जमानतीय प्रकृति का है। जख्म की प्रकृति साधारण है और इस वाद का अनुसंधान जारी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार के पश्चात आवेदक अभियुक्त 1. मनीष कुमार उर्फ कारु, 2. मोनु कुमार उर्फ नेपाली एवं 3. संजय सिंह को जमानत पर मुक्त करना मैं उचित समझता हूँ। इनका अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है। फलतः आदेश की तिथि से 30 दिनों के अन्दर न्यायालय में आत्समर्पण करने या गिरफ्तार होने की दशा में मो0 10,000 रूपये के शपथयुक्त बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने के उपरांत जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है

(लेखापित / शुद्धित)

(राजकुमार चौधरी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बाढ़